21

संख्या– 645/XLI-1/2014–56/10

प्रेषक,

राकेश शर्मा,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

कुलपति
उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय,
देहरादून।

प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा अनुभाग — देहरादून दिनांक 04 अगस्त ~~जुलाई~~, 2014

विषयः– **महिला प्रौद्योगिकी संस्थान, देहरादून को प्रथम वर्ष से संचालित किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक निदेशक, महिला प्रौद्योगिकी संस्थान, देहरादून के पत्र संख्या–487/डब्लू0आई0टी0/डीआईआर/2014 दिनांक 19.05.2014 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें अवगत कराया गया है कि संस्थान में प्रवेश लैटरल एन्ट्री के माध्यम से होने के कारण प्रतिवर्ष अधिकांश सीटें खाली रह जाती हैं। इसके अतिरिक्त यह अनुरोध किया गया है कि संस्थान की वित्तीय स्थिति को दृष्टिगत रखते हुये प्रथम वर्ष से प्रवेश दिये जाने के लिये निर्देश दिये जायें। उक्त प्रस्ताव पर उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में आपके द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया है। चूंकि महिला प्रौद्योगिकी संस्थान, उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय का संघटक संस्थान है तथा स्ववित्त पोषित मोड पर संचालित है।

2– अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय के संघटक इंजीनियरिंग संस्थान "महिला प्रौद्योगिकी संस्थान, देहरादून" को प्रति पाठ्यक्रम 30–30 की प्रथम वर्ष में प्रवेश क्षमता तथा प्रति पाठ्यक्रम 30–30 की लेटरल एन्ट्री से द्वितीय वर्ष में प्रवेश क्षमता के साथ संचालित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त उक्त निर्णय के क्रियान्वयन हेतु चालू शैक्षिक सत्र 2014–15 की ऑनलाइन काउंसिलिंग में उक्त व्यवस्था सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(राकेश शर्मा)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या एवं दिनांक–उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1. निजी सचिव, मा0 तकनीकी शिक्षा मंत्री जी, उत्तराखण्ड।
2. सचिव, कुलाधिपति, उत्तराखण्ड।
3. कुलसचिव, उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय, देहरादून।
4. निदेशक, महिला प्रौद्योगिकी संस्थान, देहरादून।
5. एनआईसी, सचिवालय परिसर, उत्तराखण्ड।
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(एस0एस0 टोलिया)
उप सचिव।

C:\Users\ritesh\Desktop\Ritesh-US Sir\UTU & Affiliation\UTU.doc.Ritesh-TE 351